

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(1)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ३०-८-२०१९

॥ आदेश ॥

श्री तरुण दास बैरागी, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, प्रतापगढ़ को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री गोपाल लाल टांक, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़ को अपने संबंधित न्यायालय में पैरवी के साथ-साथ जिला एवं सैशन न्यायालय, प्रतापगढ़ में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, प्रतापगढ़ के पद पर नियुक्त होने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

३०
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़।
10. जिला कलटर, प्रतापगढ़।
11. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12. श्री तरुण दास बैरागी, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपने पद का कार्यभार श्री गोपाल लाल टांक, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करें।
13. श्री गोपाल लाल टांक, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़ को पालनार्थ।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
15. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
16. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

३०-८-२०१९
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(११)राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक ३०-८-२०१९

:: आदेश ::

श्री आशुतोष जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.), प्रतापगढ़ को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हृ
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. विशिष्ट न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.), प्रतापगढ़।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़।
10. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि विशिष्ट न्यायालय (अ.जा./अ.ज.जा.) प्रतापगढ़ में विशिष्ट लोक अभियोजक (अ.जा./अ.ज.जा.) प्रतापगढ़ के पद पर नियुक्त होने अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अभियोजन सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, जो लोक अभियोजक नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, को निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय एवं इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।
11. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


30/8/2019

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण